

## रायपुर : संकट की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार का एक और बड़ा फैसला : मुख्यमंत्री श्री बघेल की पहल पर बस-ट्रक ऑपरेटर्स को 331 करोड़ की ब टैक्स, ब्याज व पेनाल्टी की माफी

परिवहन मंत्री श्री अकबर के प्रस्ताव पर कैबिनेट द्वारा दी गई थी मंजूरी

रायपुर, 01

परिवहन विभाग द्वारा देश भर में लागू लॉकडाउन और भविष्य की व्यावसायिक स्थिति को देखते हुए 31 मार्च 2013 तक बकाया टैक्स पेनाल्टी और ब्याज को पूरी तरह से माफ करने का निर्णय कि इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत बस और ट्रक ऑपरेटर्स को लगभग 221 करोड़ रूपए का फायदा होगा। इसके लिए राज्य शासन द्वारा संचालित एक मुश्त निपटान योजना के तहत बस-ट्रक ऑप 2013 से 2018 तक शासन को देय राशि में से 110 करोड़ रूपए की पेनाल्टी को माफ किया जा रहा है। इस तरह परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों को कुल 331 करोड़ रूपए की राशि माफ है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 24 मार्च को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव परिवहन तथा वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर द्वारा रखा गया था, इस प्रस्ताव पर बघेल द्वारा बस-ट्रक ऑपरेटर्स के हित को ध्यान में रखकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मंत्रिमंडल सहित तत्परता से सहमति प्रदान कर दी गई। कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा इस महत् और इसमें लिए गए निर्णय को राज्य के परिवहन व्यवसाय के क्षेत्र में राहत पहुंचाने वाला एक सराहनीय कदम बताया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के इस राहत भरे महत्वपूर्ण फैसले से राज्य में संकट बस और ट्रक ऑपरेटर्स को काफी लाभ मिलेगा।

परिवहन मंत्री श्री अकबर ने बताया कि 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 के दौरान बस और ट्रक ऑपरेटर्स को बकाया टैक्स तथा उस पर लगने वाले ब्याज की राशि का भी भुगतान एक सितम्बर 2020 तक करके वन-टाईम सेटलमेंट योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसमें वाहन मालिक द्वारा टैक्स और ब्याज के भुगतान करने पर ही पेनाल्टी पर छूट प्राप्त की जा सकती है। यदि वाहन मालिक के द्वारा योजना अवधि तक शासन को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो योजना समाप्ति पश्चात टैक्स, पेनाल्टी तथा ब्याज सहित सम्पूर्ण बकाया राशि की वसूली व परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी। इसके मद्देनजर परिवहन मंत्री श्री अकबर ने समस्त बकायादार वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में वन-टाईम सेटलमेंट योजना का उठाएं।

परिवहन मंत्री श्री अकबर ने यह भी बताया कि परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च 2013 तक बकाया टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज माफ करने की पहल की जा रही है। ट्रक ऑपरेटर्स को त्रैमासि ऑपरेटर्स को मासिक टैक्स अदा करना होता है। टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी एक साल की अवधि में टैक्स की राशि के बराबर ही हो जाती है। इसके साथ ही उस पर छह माह बाद 20 प्रतिशत की भी देना होता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के देशभर में लागू लॉकडाउन और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च 2013 तक बकाया टै और ब्याज को पूरी तरह से माफ करने का फैसला लिया गया है। परिवहन मंत्री श्री अकबर की पहल पर लिए गए यह निर्णय परिवहनकर्ताओं और वाहन मालिकों के लिए काफी राहत पहुंचाने वा निर्णय निश्चित तौर पर वर्तमान में कोरोना के वजह से अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले दुःप्रभाव से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

क्रमांक

TAGS:

 Print this article

